अध्याय IV: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

4.1 जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली

सीपीडब्ल्यूडी द्वारा व्यक्तिगत जल मीटर स्थापित करने/सामान्य पूल निवासी आवास के आवंटियों से जल प्रभार की वसूली की दरों को संशोधित करने में विफलता के कारण, सीपीडब्ल्यूडी पर ₹63.69 करोड़ का वित्तीय भार पड़ा है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (मंत्रालय) का एक संलग्न कार्यालय संपदा निदेशालय (डीओई), भारत सरकार के कार्यालय भवनों और निवासी आवास के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। डीओई द्वारा दिनांक 7 अगस्त 1987 को जारी कार्यालय ज्ञापन यह निर्धारित करता है कि "आम तौर पर जल और बिजली प्रभार आवंटी द्वारा स्थानीय निकायों को देय होते हैं। हालांकि, जहां अलग मीटरों आदि की अनुपलब्धता के कारण आवंटियों से ऐसे प्रभारों की वसूली नहीं की जा सकती है, यह सरकार द्वारा आवंटियों से वसूल किया जाना जारी रहेगा।"

सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) के आवंटियों से जल प्रभारों की वसूली के संबंध में जहां जल की आपूर्ति मीटर द्वारा विनियमित नहीं है, जिस दर पर ऐसी वसूली की जानी है वह कार्यपालक अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित प्रभागों से परामर्श करने के बाद तय किया जाता है, जो स्थानीय निकायों को बिलों का भुगतान करते हैं। जल के प्रभारों को समय-समय पर संशोधित किया जाना था।

सीपीडब्ल्यूडी के नौ डिवीजन हैं, जो पांच दिल्ली सर्कल और एक जोन में संगठित हैं। लेखापरीक्षा ने सीपीडब्ल्यूडी के यू डिवीजन में मामले की नमूना जांच की, जो कि यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर; लोधी रोड परिसर और प्रगति विहार छात्रावास में जीपीआरए कॉलोनियों के रखरखाव में शामिल है।

लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित का पता चला:

i) अप्रैल 2006 से मार्च 2018 की अवधि के लिए कार्यकारी अभियंता, यू डिवीजन (डिवीजन) के कार्यालय की लेखापरीक्षा (जून और अक्टूबर 2018) के दौरान, यह पाया गया कि जल की आपूर्ति के लिए विभाजन के नाम पर, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से दो बल्क जल मीटर कनेक्शन प्राप्त किए गए थे। यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर में एक जल का मीटर लगाया गया था, जिसके माध्यम से 135 टाइप-III क्वार्टरों को जल की आपूर्ति की गई थी। प्रगति विहार छात्रावास में एक अन्य जल का मीटर लगाया गया था, जिससे लोधी रोड परिसर में स्थित 2,223 क्वाटर्स (टाइप-II, III और V) और प्रगति विहार छात्रावास में 792 क्वाटर्स (डबल सूट) को जल की आपूर्ति की गई थी। इन बल्क जल कनेक्शनों के लिए डीजेबी द्वारा जारी ₹64.32 करोड़ के जल के बिलों का भुगतान डिवीजन द्वारा किया गया था। हालांकि, व्यक्तिगत आवंटियों से वसूले गए जल के प्रभार भुगतान किए गए बिलों के अनुरूप नहीं थे क्योंकि 2010-11 से 2018-19 के दौरान केवल ₹0.47 करोड़ की ही वसूली की गई थी। इसके अलावा, उपरोक्त जीपीआरए कॉलोनियों में 13 वर्ष से 25 वर्ष पूर्व जल प्रभार को संशोधित किया गया था और सीपीडब्ल्यूडी (**अनुलग्नक-XXIX**) पर ₹63.85 करोड़ की राशि का वित्तीय भार पड़ा था।

ii) यह ध्यातव्य है कि जहां आपूर्ति अलग-अलग मीटरों द्वारा विनियमित नहीं है और सिंगल प्वाइंट से की जा रही है, वहां जल प्रभार कार्यपालक अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर डीओई द्वारा व्यक्तिगत निवासियों से वसूल किया जाना है। इसके अलावा, जब भी किसी कॉलोनी के लिए कार्यकारी अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जल प्रभार की दरों को संशोधित किया जाता है, तो उन्हें डीओई को सूचित किया जाना चाहिए और वसूली की कार्रवाई के लिए डीओई के वसूली अनुभागों में भेजा जाना चाहिए। तथापि, डीओई के पास उन मामलों में आवंटियों से वसूली योग्य जल प्रभारों की राशि की गणना करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी जहां जल आपूर्ति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सिंगल प्वाइंट पर प्राप्त की गई थी और फिर अलग-अलग आवंटियों को वितरित की गई थी।

iii) अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी पता चला कि डीओई ने मई 2014 और नवंबर 2016 के बीच जल प्रभारों के संशोधन के लिए कार्यकारी अभियंता, (लाइसेंस प्रभार), सीपीडब्ल्यूडी को विभिन्न पत्र/अनुस्मारक जारी किए थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं

हुई थी। डीओई की अध्यक्षता में जनवरी 2018 से नवंबर 2018 के दौरान जल के मीटरों की स्थापना की संभावनाओं की खोज के लिए छह बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी और डीजेबी के प्रतिनिधि सहभागी थे। 22 जनवरी 2018 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी जीपीआरए कॉलोनियों में जल के मीटर लगाने की पूरी प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए। हालांकि इस बैठक में डीजेबी का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। 5 अप्रैल 2018 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनडीएमसी क्षेत्रों में घरों में जल के मीटर लगाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा क्योंकि एनडीएमसी इस शर्त पर मीटर लगाने और उपभोक्ताओं से भुगतान वसूलने के लिए तैयार है कि इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जाएगा और एनडीएमसी को सौंप दिया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि एनडीएमसी के अलावा अन्य क्षेत्रों में स्थित जीपीआरए कॉलोनियों में इस मॉडल को दोहराने की संभावना की जांच करने के लिए डीडीए कॉलोनियों में व्यक्तिगत मीटरिंग के मॉडल[1] का अध्ययन किया जाएगा।

iv) 1 नवंबर 2018 को हुई बैठक में, सीपीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी के प्रतिनिधियों ने बताया कि बहुमंजिला इमारत में व्यक्तिगत जल के मीटर कनेक्शन की स्थापना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं थी क्योंकि बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव करना होगा, जो कि वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। डीओई ने अधीक्षण अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी से पिछले एक वर्ष के दौरान वास्तविक खपत तथा एनडीएमसी द्वारा जारी किए गए पिछले बिलों और कॉलोनी में क्वार्टरों की संख्या आधार पर सीपीडब्ल्यूडी को मानक दरों पर जल के प्रभारों के संशोधन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया जिसकी आपूर्ति एक प्वाइंट पर बल्क जल आपूर्ति प्रदान करने के बाद की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि सीपीडब्ल्यूडी उपरोक्त के संबंध में 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। हालांकि, एक वर्ष के बाद सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था (नवंबर 2019), जिस पर, डीओई ने बताया (नवंबर 2019) कि दरों की व्यापक विभिन्नता के कारण यह प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं है और फिर से कॉलोनियों की औसत खपत लेकर सभी प्रकार के आवास

---

[1] ***दिल्ली जल बोर्ड ने डीडीए सोसायटियों में बल्क वाटर मीटर लगाए, जबकि डीडीए द्वारा व्यक्तिगत वाटर मीटर कनेक्शन स्थापित किए गए थे और फिर थोक जल की खपत के लिए दिल्ली जल बोर्ड को भुगतान करते हैं लेकिन यह प्रत्येक घर की वास्तविक खपत पर जल के प्रभार एकत्र करता है।***

(प्रकार-वार) के लिए जल प्रभारों की अनुमानित दरों के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

इस प्रकार, जीपीआरए कॉलोनियों के जल प्रभारों को संशोधित करने में सीपीडब्ल्यूडी की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप डीजेबी को जल प्रभारों के भुगतान के कारण ₹63.85 करोड़ का परिहार्य वित्तीय भार पड़ा, जबकि आवंटियों से वसूल की गई राशि इस तुलना में बहुत कम थी।

इस मुद्दे को अगस्त 2019 में सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक (डीजी) और फरवरी 2021 और मई 2021 में मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। डीजी, सीपीडब्ल्यूडी के कार्यालय ने अपने उत्तरों में मार्च 2020 और जुलाई 2021 (जिसकी प्रति मंत्रालय को पृष्ठांकित की गई थी), निम्नलिखित बताया:

- जल प्रभारों को सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं बल्कि डीओई द्वारा तय या संशोधित किया जाता है।
- जल प्रभारों की वसूली के संबंध में, यह सूचित किया गया था कि जल का उपयोग सामान्य क्षेत्रों[2] के लिए और ठेकेदारों द्वारा क्वार्टरों को आपूर्ति के अलावा मरम्मत और उन्नयन कार्यों के लिए किया जाता है। 2010-11 से अगस्त 2020 की अवधि के दौरान ठेकेदारों द्वारा उपयोग किए गए जल के लिए ₹16.07 लाख की वसूली ठेकेदार के बिलों से गई है। चूंकि सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल के लिए जल का प्रभार ₹4.21 करोड़ था, जिससे वित्तीय भार ₹59.95 करोड़[3] हुआ।
- जहां तक व्यक्तिगत जल मीटरों की स्थापना का संबंध था, यह बताया गया था कि सर्वेंट क्वार्टरों सहित सभी क्वार्टरों में इसकी स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जाएगी जो कि व्यवहार्यता और निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसके अलावा, सभी खराब मीटरों को वास्तविक बिलिंग के लिए एनडीएमसी और डीजेबी के समन्वय से बदला जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि

---

[2] ***आपूर्ति के दौरान वितरण पाइपलाइनों में, छत पर पीवीसी टैंक के ओवरफ्लो में, आवंटियों द्वारा दरवाजे के सामने दीर्घाओं की सफाई में, भूमिगत/ओवरहेड्स टैंकों की सफाई, कॉमन बिल्डिंग एंड सर्विस सेंटर में जल की सफाई और परिषोधन के लिए जल का उपयोग.***

[3] ***₹64.32 करोड - ₹0.16 करोड - ₹4.21 करोड = ₹59.95 करोड***

सभी डिवीजनों को निर्देश जारी किए गए (जून 2021) कि प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग-अलग मीटर डिजाइन और निर्माण के समय ही उपलब्ध कराया जाए। जल प्रभारों के पुनरीक्षण के संबंध में, यह दोहराया गया कि आवंटियों से वसूली योग्य जल प्रभारों का निर्धारण डीओई द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के परामर्श से तय किया जाता है। न हानि न लाभ के सिद्धांत, के आधार पर जल प्रभारों के संशोधन पर नवीनतम सिफारिशें 29 जून 2021 को डीओई को भेजी गईं। डीओई को सूचित किया गया कि दिल्ली में जल के प्रभार एक समान नहीं हो सकते। इसके अलावा, एकसमान दर को अपनाने से वसूल किए गए जल के प्रभार और डीजेबी/एनडीएमसी को भुगतान किए गए जल प्रभार के बीच के अंतर को कम नहीं किया जा सकेगा।

- जहां तक समय-समय पर दरों में संशोधन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के संस्थागतकरण की बात है, यह सूचित किया गया था कि एक कार्यकारी अभियंता की अध्यक्षता में "लाइसेंस शुल्क इकाई" नामक एक नोडल इकाई क्षेत्रीय इकाइयों से डेटा एकत्र करके जल के प्रभार के मुद्दे देखने के लिए अधिदेशित है। पुनरीक्षण की आवृत्ति के संबंध में, डीओई द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जा सकता है।

उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है:

- उत्तर में अलग-अलग मीटर लगाने की कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, जो जन सम्पत्ति के व्यय को कम करने की दिशा में ढिले रवैये की ओर इशारा करता है।
- पिछली बार 13 वर्ष से 25 वर्ष पहले संशोधित दरों के संशोधन का मुद्दा अभी भी अनिर्णीत है।
- नोडल इकाई के गठन ने डीओई और कार्यकारी अभियंता (लाइसेंस प्रभार) के बीच दरों के संशोधन के मुद्दे के समाधान में किसी भी तरह से सहायता नहीं की है।

इस प्रकार, उपरोक्त इंगित करता है कि डीओई के पास उन मामलों में आबंटियों से वसूली योग्य जल प्रभारों की राशि की गणना करने के लिए कोई तंत्र नहीं था जहां जल आपूर्ति सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एकल बिंदु पर प्राप्त की गई थी और फिर अलग-अलग आवंटियों को वितरित की गई थी, सीपीडब्ल्यूडी जो कथित रूप से एकमात्र एजेंसी थी जिसे आवंटियों

को इन सेवाओं को प्रदान करने में शामिल लागत की समझ थी, तथा जिसने अपने कार्यकारी अभियंता (लाइसेंस शुल्क) के माध्यम से जल प्रभार की वसूली की दरों को संशोधित नहीं किया था। जब तक वसूली की संशोधित दरों की सूचना डीओई को नहीं दी जाती, डीओई के वसूली अनुभाग वसूली कार्रवाई के लिए इन दरों को लागू नहीं कर सकते। इसके अलावा, सामान्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले जल के प्रभार, अलग-अलग मीटरों की स्थापना और जल प्रभार में संशोधन नीतियों के अभाव में, न तो सीपीडब्ल्यूडी और न ही डीओई वसूली की दरों के संशोधन के लिए जिम्मेदार ले रहे है। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली के नौ डिविजनों में से लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए सीपीडब्ल्यूडी के डिवीजन 'यू' के तहत जीपीआरए कॉलोनियों के संबंध में ₹63.69 करोड़ का वित्तीय भार पड़ा। सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित डिवीजनों में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर एक समग्र समीक्षा आयोजित करके शेष डिवीजनों में वित्तीय भार के निर्धारण की तत्काल आवश्यकता है।

मामले को फरवरी 2021 में मंत्रालय को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितंबर 2021)।

सिफ़ारिश

जल के प्रभार की दरें समय-समय पर संशोधित करने और सभी बकाया राशियों की आवंटियों से समय पर/ समयबद्ध तरीके से वसूली को सुनिश्चित करने के लिए एक सुपरिभाषित तंत्र को संस्थागत बनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कोलकाता

4.2 विभागीय प्रभारों के गैर उदग्रहण के कारण राजस्व की हानि

सीपीडब्ल्यूडी निर्माण मैनुअल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए साल्ट लेक, कोलकाता में एसटीपीआई के लिए आईटी पार्क के निर्माण के लिए विभागीय प्रभारों का उदग्रहण करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.33 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना और पंजीकरण, जून 1991 में, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करने के लिए, निम्नलिखित

उद्देश्यों के साथ (i) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजनाओं का कार्यान्वयन, (ii) बुनियादी सुविधाओं की स्थापना और प्रबंधन (iii) सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं का प्रचार, विकास और निर्यात और (iv) डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना, प्रभार्य आधार पर आईटी/आईटीईएस उद्योगों आदि के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं सहित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने एसटीपीआई की ओर से साल्ट लेक, कोलकाता में एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क[4] के निर्माण के लिए एक निक्षेप कार्य किया, जिसकी अनुमानित लागत ₹55.73 करोड़ थी। सबसे कम बोली[5] लगाने वाले को ₹49.26 करोड़ की निविदा लागत पर कार्य दिया गया (दिसंबर 2016)। हालाँकि, जून 2018 में कार्य को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि संविदाकार कार्य का निष्पादन करने में विफल रहा।

इसके बाद, शेष कार्य (अनुमानित लागत ₹64.98 करोड़) अगले सबसे कम बोलीदाता[6] को, ₹48.50 करोड़ की निविदा लागत पर, जनवरी 2020 तक पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ प्रदान किया गया (सितंबर 2018)। कार्य अभी भी प्रगति पर था (नवंबर 2020), और संविदाकार को आठवें चल लेखा बिल तक ₹33.32 करोड़ का भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि सीपीडब्ल्यूडी ने सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 के पैराग्राफ[7] 12.1 के अनुसार एसटीपीआई से विभागीय प्रभारों का उदग्रहण नहीं किया, जब की संगठन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है और इसकी मुख्य कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति के हैं। सीपीडब्ल्यूडी की ओर से इस चूक के परिणामस्वरूप,

---

[4] ***साल्ट लेक, कोलकाता एसएच में एसटीपीआई के लिए आईटी पार्क: ऑफिस बिल्डिंग के द्वारा आई/सी आंतरिक जल आपूर्ति, स्वच्छता स्थापना, जल निकासी और आंतरिक/बाह्य विद्युतीकरण (शेष कार्य)***

[5] ***मैसर्स सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड अनुबंध संख्या 66/सीई (ईजेड-आई)/ईई/केसीडी-VIII/2016-17 के तहत***

[6] ***मैसर्स गर्ग बिल्डर्स, अनुबंध संख्या 35/सीई(ईजेड-I)/ईई/केसीडी-VIII/2018-19 दिनांक 28.09.2018 के तहत***

[7] ***सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 2014 के पैरा 12.1 में परिकल्पना की गई है कि सरकारी कार्यों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों के उन कार्यों के लिए कोई विभागीय प्रभार उदग्रहित नहीं किया जाना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किए गए अन्य कार्यों के लिए विभागीय प्रभार निर्धारित दरों पर वसूल किए जाने हैं। पैरा में आगे कहा गया है कि केंद्रीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की ओर से निष्पादित किसी भी कार्य पर विनिर्दिष्ट दरों के साथ विभागीय प्रभार भी लगाया जाएगा।***

विभागीय प्रभारों[8] के गैर उदग्रहण के कारण राजस्व की हानि हुई, जो ₹2.33 करोड़ थी (सात *प्रतिशत* की दर पर आठवें चल लेखा बिल तक ₹33.32 करोड़)।

सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (मार्च 2021) कि एसटीपीआई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक संगठन है। इसलिए, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर शुरू की गई एसटीपीआई परियोजनाओं को बिना किन्ही विभागीय प्रभारों के लागू किया गया है।

सीपीडब्ल्यूडी का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि (i) एसटीपीआई की ओर से निष्पादित कार्य, जो एक स्वायत्त सोसायटी है, को सरकारी कार्यों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और (ii) एसटीपीआई द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, उसके उपलब्ध धन का केवल एक सीमित *प्रतिशत* है। इसके अलावा, एसटीपीआई, अपने मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति में, वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से सालाना काफी मात्रा में परिचालन आय अर्जित करता है, जिसमें (क) एसटीपी/ ईएचटीपी योजनाओं को लागू करना (ख) बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का प्रबंधन (ग) संवर्द्धन तथा निर्यात सेवाएं, कई हितधारकों को डेटा संचार सेवाओं आदि सहित प्रदान करना शामिल है, तदनुसार, एसटीपीआई की ओर से सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों पर विभागीय प्रभार लगाया जाएगा।

इस प्रकार, विभागीय प्रभारों के गैर उदग्रहण के कारण राजस्व की हानि हुई, जो आठवें चल लेखा बिल तक ₹2.33 करोड़ है।

मामले को फरवरी 2021 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2021)।

---

[8] ***कार्य मूल्य के आठ प्रतिशत की दर से ₹2 करोड़-₹3 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य; निर्माण कार्य मूल्य के सात प्रतिशत की दर से पांच करोड़ से अधिक।***

दिल्ली विकास प्राधिकरण

4.3 जल प्रभारों की अपर्याप्त वसूली

दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के गाजीपुर में फ्लैटों का आवंटन शुरू होने के 20 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद, दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति की सेवाएं हस्तांतरित करने में विफल रहा। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सृजित बिलों की तुलना में आपूर्ति किए गए जल के लिए आवंटियों से कम राशि वसूल की, जिसके परिणामस्वरूप ₹55.77 लाख का वित्तीय बोझ हुआ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय (मंत्रालय) का एक स्वायत्त निकाय, दिल्ली में घरों/ फ्लैटों का निर्माण करता है। वे इन घरों/फ्लैटों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे घरों/फ्लैटों के निर्माण के बाद, बुनियादी सेवाओं को रखरखाव के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) जैसी नागरिक एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

अप्रैल 2013 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए डीडीए (डिवीजन) के कार्यकारी अभियंता, पूर्वी डिवीजन-5 के कार्यालय की लेखापरीक्षा जनवरी-फरवरी 2019 के दौरान की गई थी। इस डिवीजन की स्थापना 1997 में आवास डिवीजन के रूप में की गई थी। यह देखा गया कि स्व-वित्तपोषण योजना के तहत डीडीए द्वारा वर्ष 1995 से 1997 के दौरान गाजीपुर, दिल्ली (साइट I-हाईवे अपार्टमेंटस और साइट II-स्काईलार्क अपार्टमेंटस) में 190 फ्लैटों का निर्माण किया गया था। 190 फ्लैटों में से 186 को वर्ष 1999 से आवंटित किया गया था। इस डिवीजन को 28 जनवरी 2020 से अनुरक्षण डिवीजन के रूप में पुन: नामित किया गया था।

डिवीजन में स्काईलार्क अपार्टमेंट्स और हाईवे अपार्टमेंट्स में जल की आपूर्ति से संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि:

(i) डीजेबी द्वारा डीडीए को जल की आपूर्ति की जा रही थी, जिसके लिए भूमिगत जलाशय के निर्वाह बिन्दु पर स्थापित बल्क मीटर के माप पैमाने के आधार पर जल के बिल बनाए जा रहे थे। डिवीजन इन फ्लैटों में भूमिगत जलाशय से जल की आपूर्ति कर रहा था।

(ii) डीडीए में ऐसी कोई नीति/मानदंड नहीं हैं जो नागरिक एजेंसियों को सेवाओं के हस्तांतरण के लिए विशिष्ट समय-अवधि/प्रक्रिया प्रदान करते हों।

(iii) चूंकि डीडीए ने अलग-अलग फ्लैटों में जल के मीटर नहीं लगाए थे, वे अक्टूबर 2012 में डीडीए द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रति फ्लैट ₹344 प्रति माह की दर से जल के प्रभारों की वसूली कर रहे थे, जो अप्रैल 2011 से पूर्वव्यापी रूप से लागू थे। इसके अलावा, डीडीए ने अक्टूबर 2012 के बाद जल प्रभारों की मासिक दरों में संशोधन नहीं किया गया, हालांकि इसे डीजेबी द्वारा संशोधित किया गया था।

(iv) जल की आपूर्ति के लिए डीजेबी द्वारा बनाए गए बिलों और डीडीए द्वारा आबंटियों से की गई वसूली के विश्लेषण से पता चला कि नवंबर 2012 से मार्च 2020 के दौरान डीजेबी द्वारा सृजित बिलों के लिए डीडीए द्वारा डीजेबी को भुगतान किए गए जल के प्रभार की राशि ₹113.57 लाख थी, जिसके प्रति डीडीए द्वारा आवंटियों से वसूला गया कुल जल प्रभार ₹57.80 लाख था **(अनुलग्नक-XXX)**।

इस प्रकार, जबकि डीडीए ने डीजेबी को उनके द्वारा सृजित जल के प्रभार के संबंध में पूरी राशि का भुगतान किया था, डीडीए द्वारा जल की खपत के लिए आवंटियों से वसूल की गई राशि बहुत कम थी। इसलिए, नवंबर 2012 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹55.77 लाख की कम वसूली और वित्तीय बोझ था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने उत्तर में निम्नलिखित को स्पष्ट किया (अक्टूबर 2020):

- नागरिक एजेंसियों को सेवाओं के हस्तांतरण के लिए कोई विशिष्ट समय-अवधि नहीं है, हालांकि इन सेवाओं को जल्द से जल्द हस्तांतरित किया जाना चाहिए। डीजेबी को जल की आपूर्ति के हस्तांतरण के बाद, डीजेबी सीधे जल के बिल बनाएगा और आवंटियों से जल प्रभारों की वसूली करेगा।

- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि डीडीए द्वारा डीजेबी को भुगतान की तुलना में आवंटियों से कम राशि वसूल करने के कारण वे वित्तीय बोझ वहन कर रहे हैं। डीडीए लंबे समय से डीजेबी को जल की आपूर्ति सौंपने के मामले पर कार्य कर रहा है, लेकिन डीजेबी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, और 31 मार्च 2020 तक बकाया जल प्रभार राशि ₹6.57 लाख थी।

- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नवंबर 2019 से पानी की खपत के लिए किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया है क्योंकि दर्ज खपत छूट की सीमा के भीतर थी और शून्य राशि के बिल प्राप्त हुए हैं। चूंकि इन फ्लैटों में वास्तविक खपत छूट की सीमा के भीतर थी, दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार, डीडीए द्वारा डीजेबी के साथ मामले को पहले ही उठाया जा चुका था (अगस्त 2020) जो पूर्व में अतिरिक्त राशि के प्रतिदाय के लिए औसत खपत के आधार पर उदग्रहित किया गया था।
- प्रत्येक फ्लैट के लिए अलग-अलग पानी का मीटर आवंटियों द्वारा अपने व्यय पर लगाया जाना है, जिसके लिए डिवीजन दोनों सोसायटियों के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ कार्रवाई कर रहा है।

डीडीए के उत्तर को निम्नलिखित के दृष्टिगत देखा जाना है:

- डीडीए ने स्वीकार किया है कि सेवा प्रदाताओं को बुनियादी सेवाओं के हस्तांतरण के संबंध में समय अवधि या प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने वाली कोई नीति/मानदंड नहीं थे। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने 20 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी हस्तांतरण में विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमित आधार पर मामले का अनुसरण नहीं किया क्योंकि जलापूर्ति की योजना के हस्तांतरण के लिए केवल चार पत्र (2012-16), दो पत्र (2018) डीजेबी को लिखे गए थे। हालांकि, जनवरी-फरवरी 2019 में लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे के बताए जाने के बाद, डीजेबी को पांच पत्र (2019) और चार पत्र (2020) जारी किए गए थे।
- नवंबर 2019 से शून्य जल बिलों के संबंध में क्योंकि खपत छूट की सीमा के भीतर थी, तथ्य यह है कि डीडीए 20 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जल आपूर्ति की सेवाओं को डीजेबी को हस्तांतरित करने में विफल रहा और व्यक्तिगत मीटर के अभाव में, पानी की कुल वास्तविक खपत छूट की सीमा बढ़ाने की स्थिति में पूरी राशि के भुगतान का दायित्व डीडीए का है।

इस प्रकार, डीजीबी को जलापूर्ति की सेवाओं के हस्तांतरण के लिए एक नीति या मानदंडों के अभाव में, डीडीए फ्लैटों के आवंटन की शुरुआत के 20 से अधिक वर्षों के बीत जाने के बावजूद ऐसा करने में विफल रहा। इसके साथ ही जल प्रभारों की मासिक दरों को संशोधित

करने के लिए डीडीए के प्रयासों की कमी (अक्टूबर 2012 में अंतिम बार संशोधित) के परिणामस्वरूप डीडीए को ₹55.77 लाख का वित्तीय बोझ उठाना पड़ा।

मामले को जनवरी 2021 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2021)।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली

4.4 कपटपूर्ण अवकाश यात्रा रियायत का दावा

दिल्ली विकास प्राधिकरण और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों ने जाली टिकटों पर हवाई यात्रा और तथ्यों की गलत बयानी के कारण वास्तविक भुगतान की तुलना में अधिक राशि का दावा किया और प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त की। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में बताए जाने पर ₹8.19 लाख के कपटपूर्ण अवकाश यात्रा रियायत दावों के प्रति ₹9.69 लाख की वसूली हुई।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) दिनांक 26 सितंबर 2014 के अनुसार, सभी पात्र सरकारी कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का लाभ उठा सकते हैं और गृह नगर एलटीसी के एक ब्लॉक के रूपांतरण के प्रति उत्तर पूर्व क्षेत्र/ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह/ जम्मू और कश्मीर (एनईआर/ एएंडएन/ जेएंडके) में किसी भी स्थान पर जा सकते है। हवाई यात्रा के हकदार सरकारी कर्मचारी इस एलटीसी का लाभ अपने मुख्यालय से इकोनॉमी क्लास में ले सकते हैं। इसके अलावा, जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करने के हकदार नहीं हैं, उन्हें कुछ क्षेत्रों में इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है, जैसे (क) कोलकाता/ गुवाहाटी और एनईआर में किसी भी स्थान के बीच (ख) कोलकाता/ चेन्नई/ भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर के बीच (ग) दिल्ली/ अमृतसर और जम्मू-कश्मीर के किसी भी स्थान के बीच। इसके लिए केवल एयर इंडिया के इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की जानी है और एलटीसी-80 किराया या उससे कम पर और हवाई टिकट सीधे एयरलाइंस से या एलटीसी यात्रा करते समय अधिकृत ट्रैवल एजेंटों[9] की सेवा

[9] *अर्थात मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी, मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स और आईआरसीटीसी (जिस सीमा तक डीओपीटी की ज्ञापन सं. 31011/06/2002- स्था. (क) दिनांक 2.12.2009 के अनुसार आईआरसीटीसी अधिकृत है।)*

का उपयोग करके खरीदे जाने थे। अन्य एजेंसियों के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं थी।

इसके अलावा, उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन द्वारा, सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाने की सलाह दी गई थी कि एलटीसी के किसी भी दुरुपयोग को गंभीरता से लिया जाएगा और कर्मचारी नियमों के तहत उचित कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। एलटीसी के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए, मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी गई थी कि वे अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए हवाई टिकटों पर दर्शाई गई लागत की तुलना में हवाई यात्रा की वास्तविक लागत के संबंध में अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ हवाई टिकटों को संबंधित एयरलाइंस से यादृच्छिकता से सत्यापित करें।

मुख्य लेखा कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और कार्यकारी अभियंता, विद्युत डिवीजन-16, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के कार्यालय की लेखापरीक्षा क्रमशः अप्रैल-मई 2018 और जुलाई 2018 में की गई थी। इन लेखापरीक्षाओं के दौरान ब्लाक वर्ष 2014-17 के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए एलटीसी दावों से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच भी की गई थी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि कर्मचारियों ने धोखाधड़ी पूर्ण प्रथाओं को अपनाकर प्राधिकरणों से ₹8.19 लाख की गैर-हकदार राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा में देखे गए मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) डीडीए के पांच अधिकारियों को ₹4.38 लाख की कुल राशि के लिए एलटीसी दावों की प्रतिपूर्ति की गई। इन कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने दावों के साथ प्रस्तुत किए गए हवाई टिकटों की एलटीसी-80 मूल किराए के प्रति जांचा गया। विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

क) ₹1.50 लाख के कुल हवाई टिकटों की कीमत को बढ़ाकर ₹3.31 लाख कर दिया गया जो एलटीसी-80 के मूल किराए से अधिक था।

ख) टिकट अनधिकृत ट्रैवल एजेंटों से खरीदे गए थे

(ii) डीडीए के अन्य चार मामलों में, अधिकारियों द्वारा पोर्ट ब्लेयर की यात्रा के लिए कुल मिलाकर ₹2.76 लाख के हवाई टिकट प्रस्तुत किए गए। एलटीसी-80 मूल किराए के प्रति दोहरी जांच करने पर पता चला कि कर्मचारियों ने:

क) अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट के नाम टिकटों से हटाए थे;

ख) हवाई टिकटों की वास्तविक कीमत ₹1.46 लाख से बढ़ाकर ₹2.76 लाख की थी; तथा

ग) एक मामले में दावे में एक गैर-पारिवारिक सदस्य शामिल है।

इस प्रकार, न केवल एयरलाइनों/अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक करने की शर्त का पालन नहीं किया गया, बल्कि हवाई टिकटों की कीमत को धोखे से एलटीसी-80 मूल किराए से अधिक तक बढ़ा दिया गया। तथापि, एलटीसी दावों को एलटीसी 80 किरायों तक सीमित रखने और बिलों के प्रसंस्करण प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत एजेंटों से खरीदे गए टिकटों को अस्वीकृत करने का उचित प्रयास सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(iii) सीपीडब्ल्यूडी के कार्यकारी अभियंता, विद्युत डिवीजन 16 के कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए ₹1.27 लाख का एलटीसी दावा प्रस्तुत किया गया था। वहां पर ₹1.05 लाख की प्रतिपूर्ति की गई। दावे के साथ संलग्न हवाई टिकटों की एलटीसी-80 मूल किराए के प्रति दोहरी जांच की गई थी। यह पता चला कि, हालांकि टिकट एक अधिकृत ट्रैवल एजेंट से खरीदे गए थे, हवाई टिकट की मूल कीमत ₹0.47 लाख से बदलकर ₹0.92 लाख कर दी गई थी। इस प्रकार, कर्मचारी ₹1.27 लाख के एलटीसी दावे के प्रति ₹1.05 लाख की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में सफल रहा।

मामला क्रमशः मई 2018 और जुलाई 2018 में डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित डिवीजन के ध्यान में लाया गया था। डीडीए ने अपने उत्तर में सूचित किया (मई 2019 और सितंबर 2020) कि पांच अधिकारियों से ₹4.83 लाख[10] की राशि वसूल की गई थी। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया कि चार अधिकारियों से ₹4.41 लाख[11] की राशि वसूल की गई थी। डीडीए ने आगे बताया (फरवरी 2020) कि डीडीए के कार्मिक विभाग से

---

[10] *दो मामलों में प्रत्येक 10 दिनों की छुट्टी भुनाने और अधिक दावा की गई राशि सहित*

[11] *दंडात्मक ब्याज सहित*

सीसीएस (आचरण) नियमों के साथ-साथ एलटीसी नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। सीपीडब्ल्यूडी के संबंधित डिवीजन ने यह भी सूचित किया (जनवरी 2019) कि कर्मचारी से ₹0.45 लाख की वसूली की गई, जो कि हवाई टिकटों की अधिक भुगतान राशि थी। इस प्रकार, अब तक कुल ₹9.69 लाख की वसूली की गई।

चूंकि अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान एलटीसी दावे का धोखाधडीपूर्ण भुगतान पाया गया था, ऐसे ही अन्य मामलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, समान अनियमितताओं की संभावना को दूर करने की दृष्टि से, लेखापरीक्षा ने दोनों लेखापरीक्षितियों को 2010-11/2012-13 से आगे के दौरान निपटाए गए सभी एलटीसी दावों की जांच करने का सुझाव दिया (जून 2018 और अगस्त 2018)। डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी ने अपने-अपने उत्तरों (फरवरी 2020 और सितंबर 2019) में बताया कि 2012-13 और 2010-11 के क्रमशः भुगतान किए गए सभी एलटीसी दावों की जांच और समीक्षा की जाएगी। तथापि, ऐसी जांच की स्थिति आज तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। वास्तव में, जब लेखापरीक्षा ने इन दो लेखापरीक्षाओं में धोखाधड़ी की सीमा का आकलन करने की दृष्टि से 2012-13 से 2016-17 के दौरान डीडीए और 2010-11 से 2016-17 के दौरान सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निपटाए गए सभी एलटीसी मामलों से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड क्रमशः दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में मांगे थे, डीडीए ने बताया (जनवरी 2021) कि अधिकांश मामलों के लिए, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे और सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (जनवरी 2021) कि उन्हें मामलों का पता लगाने के लिए और समय की आवश्यकता है, लेकिन अब तक आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए (जून 2021)।

मामले को नवंबर 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था। उत्तर में, सीपीडब्ल्यूडी ने बताया (जनवरी 2021) कि अधिकारी 31 अक्टूबर 2019 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे और अधिकारी के प्रति कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। डीडीए से संबंधित मामलों का उत्तर अभी प्रतीक्षित है (जून 2021)। हालांकि, मुख्य लेखा कार्यालय, डीडीए द्वारा एक लेखापरीक्षा मांग (दिसंबर 2020) के उत्तर में यह सूचित किया गया था (दिसंबर 2020), कि संबंधित अधिकारियों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मामले उनके कार्मिक विभाग को संदर्भित (दिसंबर 2019 और सितंबर 2020) किए गए थे।

उपरोक्त तथ्य यह बताते हैं कि डीडीए द्वारा 2012-13 और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा 2010-11 से भुगतान किए गए सभी एलटीसी दावों की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के सुझाव के बावजूद, किसी भी लेखापरीक्षिती ने कोई समीक्षा नही की है। इस प्रकार, समान धोखाधड़ी वाले एलटीसी दावों की सही राशि और कुल वित्तीय प्रभाव दो साल बीत जाने के बाद भी अनिर्धारित रहता है। इसके अलावा, डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी ने इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, यदि एलटीसी दावों को पारित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच की गई होती, तो इन धोखाधड़ीपूर्ण भुगतानों से बचा जा सकता था। डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इस तरह की लापरवाही और धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाओं की अनदेखी के परिणामस्वरूप अतीत में धोखाधड़ी हुई थी। प्रासंगिक एलटीसी दावों की समीक्षा के लिए डीडीए और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किसी भी कार्रवाई के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि ऐसी धोखाधड़ीपूर्ण प्रथाएं जारी नहीं हैं।

मामले को नवंबर 2020 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2021)।